दिनांकः—21.10.2019

पत्रावली पेश हुई मूल प्रार्थना—पत्र 251ए आरटीए निर्णित की जा चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी में बहस समाहित न की जाकर दिनांक 11.11.2016 को जारी एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.12.04 13:55:27 IST
Reason: SelfAttested